



पंचदश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र दैनिक विवरणिका

संख्या-05

बृहस्पतिवार, दिनांक- 12 दिसम्बर, 2013 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.15 बजे पूर्वाह्न तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ ।

“इस बीच भाजपा के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सदन में नारेबाजी करते हुए बेल में आ गए । आसन द्वारा उनसे बार-बार अनुरोध किया गया कि वे अपनी सीट पर जाकर अपनी बातों को कहें लेकिन फिर भी सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही 12.00 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।”

स्थगनोपरान्त

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया

समय 12.00 बजे मध्याह्न से 12.20 बजे अप० तक

[2] कार्यस्थगन की सूचना :-

माननीय सदस्य श्री अश्विनी कुमार चौबे एवं माननीय सदस्य श्री दिनेश कुमार सिंह से दो अलग-अलग कार्यस्थगन की सूचनाएँ दी गईं जो नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने की घोषणा की गई ।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निर्माकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i) श्री दिनेश कुमार सिंह

(ii) श्री प्रदीप कुमार

(iii) श्रीमती पूनम देवी यादव

(iv) श्री रणधीर कुमार सोनी

(v) श्री विनोद प्रसाद यादव

(vi) श्री राजेश्वर राज

(vii) डा० दाउद अली

(viii) डा० इजहार अहमद

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए सूचीबद्ध सभी ध्यानाकर्षण सूचनाएँ कल दिनांक 13.12.2013 को शून्यकाल के बाद लिए जाएँगे।

[5] सरकार की ओर से वक्तव्य :-

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा कहा गया कि "बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण" विषय पर सरकार दिनांक 13.12.2013 को वक्तव्य देगी।

[6] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (i) माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार सरकार का 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के (1) वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2) तथा (2) विनियोग लेखे की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया तथा इसके जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।
- (ii) माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत अधिसूचना सं०-एस०ओ०-517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 दिनांक 25.10.2013 एवं एस०ओ०- 526, 527 दिनांक 18.11.2013 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया। आसन से घोषणा की गई कि यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा।
- (iii) मा० मंत्री श्रीमती रेणु कुमारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 78(3) के तहत आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित अधिसूचना सं० 3449 दिनांक 06.11.2007, अधिसूचना सं०-497, दिनांक 24.02.2010, अधिसूचना सं०-1256, दिनांक 18.05.2010, अधिसूचना सं०-1257, दिनांक 18.05.2010, अधिसूचना सं०-3539, दिनांक 10.10.2011, अधिसूचना सं०-3967, दिनांक 10.09.2013 तथा अधिसूचना सं०-180, दिनांक 15.01.2013 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
- (iv) माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा पंचदश बिहार विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
- (v) माननीय सभापति प्राक्कलन समिति डा० इजहार अहमद द्वारा समिति का 151वाँ प्रतिवेदन सभा मेज पर रखा गया।
- (vi) माननीय सभापति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति श्री विजय कुमार मिश्र द्वारा समिति का 183वाँ प्रतिवेदन सभा मेज पर रखा गया।

"इस दौरान भाजपा के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सदन के वेल में नारेबाजी करते रहे। आसन द्वारा लगातार उनसे शांत रहने एवं अपनी सीट पर जाने का अनुरोध किया गया लेकिन सदन में शांति कायम नहीं हो सकी तथा सदन की कार्यवाही 2.00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई।"

भोजनावकाश के बाद

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

समय 2.00 बजे अप० से 05.30 बजे अप० तक।

[7] वित्तीय कार्य :- वित्तीय वर्ष 2013-14 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग (उर्जा विभाग) पर वाद-विवाद तथा मतदान :-

माननीय मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा उर्जा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग प्रस्तुत किया गया।

आसन से माननीय सदस्य डा० अच्युतानन्द, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं भाई वीरेन्द्र का नाम कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया लेकिन कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

"इस दौरान भाजपा के माननीय सदस्यगण नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।"

अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव पर चर्चा में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री श्री विनोद प्रसाद यादव

“माननीय अध्यासी सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ने आसन ग्रहण किया।”

(ii) श्री चन्द्रशेखर

(iii) श्री प्रदीप कुमार

(iv) श्री आफाक आलम

(v) श्री अरूण मांझी

(vi) श्री दुर्गा प्रसाद सिंह

(vii) श्री दामोदर सिंह

(viii) श्री अवधेश कुमार राय

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(ix) श्री पवन कुमार जायसवाल

(x) श्री सोमप्रकाश सिंह

(xi) श्री सत्यदेव सिंह

(xii) श्रीमती ज्योति मांझी

(xiii) श्री अखतरूल ईमान

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

“सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर राजद के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए।”

सदन द्वारा उर्जा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग स्वीकृत हुई।

तत्पश्चात् वर्ष 2013-2014 के द्वितीय अनुपूरक के शेष अनुदान की मांगे मुखबंध (गिलोटीन) द्वारा सदन से स्वीकृत हुआ।

[8] **राजकीय कार्य :- राजकीय (विनियोग) विधेयक :-**

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2013 :-

माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया एवं माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस संबंध में सदन को आवश्यक सूचना दी। विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

“सदन की अवधि का सूचीबद्ध कार्य के सम्पादन होने तक विस्तारित की गई।”

इस दौरान राजद के माननीय सदस्यगण सदन में वापस आ गए।

[9] **सरकार का वक्तव्य :-**

मगध महिला महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा दिनांक 09.12.2013 को किए जा रहे प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया।

“इस दौरान राजद के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए।”

[10] **निवेदन :-**

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-41 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक 13 दिसम्बर 2013 के 10.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना

दिनांक-12.12.2013

फूल झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।